[2018] 1 एस.सी.आर. 839

उड़ीसा लिफ्ट इरीगेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बनाम

रबी शंकर पेट्रो और अन्य

एमए. नं. 1795-1796/2017

सिविल अपील सं. 17869-17870/2017

22 जनवरी, 2018

आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जेजे।

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान इंजीनियरिंग की डिग्री-डिस्टेंस एजुकेशन मोड के माध्यम से प्राप्त की गई-डीम्ड यूनिवर्सिटी से-सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 3.11.2017 के अनुसार डिग्री का पुरस्कार अवैध और विधि विरुद्ध था क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना था-हालाँकि, न्यायालय ने शैक्षणिक सत्र 2001-2005 के दौरान नामांकित छात्रों के हित में सहानुभूतिपूर्ण विचार रखते हुए, उनकी डिग्री को तब तक निलंबित कर दिया जब तक कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा/परीक्षा पास नहीं कर लेते-आवेदन/याचिका 3.11.2017 के आदेश के संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए छात्रों द्वारा दायर किए गए-उन्होंने अन्य बातों के साथ मांग की कि परीक्षा को उन लोगों के लिए छूट दी जानी चाहिए जो इस तरह की डिग्री के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से नई सेवा में आए थे या इस आधार पर उच्च योग्यता हासिल की थी। ऐसी डिग्री और उन लोगों के लिए भी जिनकी क्षमता का परीक्षण प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा किया गया था-उन्होंने यह भी मांग की कि परीक्षण 'डिप्लोमा' और 'मास्टर्स डिग्री' के लिए लागू नहीं होना चाहिए-अवधारित किया गया कि पाठ्यक्रमों की वैधता 'डिप्लोमा' हेतु 3.11.2017 के फैसले का विषय नहीं था-हालांकि, डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी पाठ्यक्रम, चाहे स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री, निश्चित रूप से इस मुद्दे पर था-डिग्री में दुर्बलताएं बुनियादी हैं और मौलिक, और इसलिए, परीक्षण को छूट नहीं दी जा सकती है-हालांकि, एक बार की छूट के रूप में, ऐसे सभी उम्मीदवार, जो निर्णय के संदर्भ में परीक्षण में उपस्थित होना चाहते हैं, विवादित डिग्री

और सभी लाभों को इस तरह के परीक्षण के परिणाम की घोषणा के बाद या 31.7.2018 तक जो भी पहले हो तक बनाए रख सकते हैं। यदि उम्मीदवार इस तरह के पहले प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं, तो वे सभी लाभों को बनाए रखने के हकदार होंगे-लेकिन यदि वे असफल होते हैं या परीक्षण में उपस्थित नहीं होने का चयन करें, डिग्री और सभी लाभ निलंबित और वापस ले लिए जाएंगे-वे निर्णय के संदर्भ में दूसरे अवसर पर उपस्थित होने के हकदार होंगे, लेकिन यह अपवाद इस तरह के दूसरे प्रयास के लिए लागू नहीं होगा-आवेदन/याचिकाओं का निस्तारणः

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार एमए सं. 1795-1796/2017; सिविल अपील 17869-17870/2017 में रिट पिटीशन (सी) सं. 2010 के 3848/2012 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.02.2010 तथा पुनर्विलोकन याचिका सं. 58/2012 में उच्च न्यायालय उड़ीसा, कटक द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.03.2012 से-

डायरी नं। 39667/2017; सी. ए. में 138802/2017। नंबर 17870/2017); सीए 1807-1808/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1797-1798/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1799-1800/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1801-1802/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए में एमए 1803-1804/2017। नं। 17869-17870/2017; सीए 1805-1806/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए में एमए 1864-1865/2017। नं। 17869-17870/2017; सीए 1866-1867/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1870-1871/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1868-1869/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए 1872-1873/2017 में सीए। नं। 17869-17870/2017; सीए में एमए 11-12/2018। नं। 17869-17870/2017; सीए में एमए 1874-1875/2017। नं। 17869-17870/2017; सीए में एमए 1876-1877/2017। नं। 17869-17870/2017; डायरी नं। 42444/2017 जेए 487/2018 सी. ए. नंबर 17870/2017); सीए में एमए 5-6/2018। नं। 17869-17870/2017; डायरी नं। 356/2018; सीए में जेए 1080/2018। नंबर 17870/2017); सीए में सीए 17-18/2018। नं। 17869-17870/2017; सीए में सीए 13-14/2018। नं। 17869-17870/2017 एमए 15-16/2018 सी. ए. नं. 17869-17870/2017 रिट याचिका (सिविल) नं. 2017 के 1233 एम. ए. नं. 2018 का 38 सी. ए. नंबर 17907/2017 मनिंदर सिंह, एएसजी, वी. मोहना, वी। गिरि, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, कपिल सिब्बल, ध्रुव मेहता, महाबीर सिंह, आरएस सूरी, विक्रमजीत बनर्जी, सीनियर सलाहकार।, अपूर्व कुरुप, विकास सिंह जांगड़ा, एसी बॉक्सीपेट्रो, प्रभास बजाज, सुश्री निधि मित्तल, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अनमोल,

सुश्री कीर्ति दुआ, जीएस मक्कर, अनमोल चंदन, मोहन प्रसाद गुप्ता, सुश्री कुमारी बोबडे, सुश्री रंजीता रोहतगी, सुश्री समटेन डोमा, सुश्री प्रज्ञा बघेल, सुश्री मधुसमिता बोरा, सुश्री सुप्रिया चट्टोपाध्याय, राजेश सिंह, रबीन मजूमदार, पीएस सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, भारत सूद, आयुष आनंद, शुभेंदु आनंद, अनुपम लाल दास, अनिरुद्ध सिंह, कृष्ण बरुआ, डॉ. राजीव धवन, दीपक कंवर, सुदर्शन एस। रावत, सुधीर कुमार, हरीश पांडे, गौरव शर्मा, मनीष कुमार, राकेश तिवारी, यू. सी. मोहंती, कुमार गौरव, एके टंडाले, विजय के. जैन, सलाहकार। उपस्थित होने वाली पार्टियों के लिए।

न्यायालय का आदेश **न्यायाधिपति उदय उमेश ललित, जे.,** द्वारा दिया गया:-

1. इन आवेदनों को 2017 के सिविल अपील नं। 17869-17870 में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 03.11.2017 (संक्षेप में "निर्णय") में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के स्पष्टीकरण और संशोधन के लिए पसंद किया गया है। निर्णय में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और विशेष रूप से निर्णय के अनुच्छेद संख्या. 53 में। आवेदनों का सार और विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क इस प्रकार थीः-

A. [एम. ए. नं। 1795 -सिविल एप में 2017 का 1796/2017 के 17869-17870 (आईए। 2017 का नंबर. 38771) सीए में सीए 1797-1798/2017। नं। 17869-17870/2017; 2017 का नंबर. 138778) सीए में सीए 1799-1800/2017 नं. 17869-17870/2017; 2017 का नंबर. 13890) सीए में सीए 1801-1802/2017 नं. 17869-17870/2017; 2017 का नंबर. 138791) सीए में एमए 1803-1804/2017 नं. 17869-17870/2017; 2017 का नंबर. 138793) सीए में सीए 1805-1806/2017 नं. 17869-17870/2017; सं. 38795/2017]

इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले आवेदकों ने 2005 में दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बी. टेक डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों में खुद को नामांकित किया। बाद में, डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री के आधार पर, उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए स्वतंत्र चयन से गुजरना पड़ा और प्रत्यक्ष भर्तियों के रूप में कुछ सेवाओं में प्रवेश किया और वर्तमान में या तो एक ही सेवा में लगे हुए हैं या कैरियर में उन्नत हैं यूपीएससी द्वारा इस तरह के चयन का आधार।

श्री वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क रखा कि निर्णय में विवाद मुख्य रूप से इन-सर्विस उम्मीदवारों के मामलों से संबंधित था, जो शुरू में डिप्लोमा धारकों के रूप में कार्यरत थे, लेकिन

सेवा में रहते हुए डीम्ड द्वारा इंजीनियरिंग में डिग्री से सम्मानित किया गया था। दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से; और यह कि इस न्यायालय को उन मामलों पर विचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था जहां ऐसी डिग्री स्वयं बाद के रोजगार या चयन और आगे के अग्रिमों के लिए आधार बन गई थी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में एक अपवाद बनाया जाना चाहिए जिनकी योग्यता को यूपीएससी जैसे प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से माना जाता है और उन्हें प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है और किसी भी मामले में, भले ही निर्णय ऐसे उम्मीदवारों पर लागू होना था, निलंबन उनकी डिग्री और सभी लाभ तब तक बहते हैं जब तक कि वे परीक्षा पास नहीं कर लेते, जैसा कि निर्णय में संकेत दिया गया है कि उन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन-सर्विस उम्मीदवारों के विपरीत जो हो सकता है कि वे अपनी नौकरी न खो रहे हों, ऐसे उम्मीदवार, जो स्वतंत्र रूप से नए चयन से गुजर चुके थे और सीधे नियुक्त किए गए थे, अपनी नौकरी पूरी तरह से खो देंगे और यहां तक कि अगर वे एआईसीटीई द्वारा आयोजित परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, तो उनकी मूल स्थिति और नौकरियों की बहाली एक मुश्किल हो जाएगी।

B. [एम. ए. 13-14/2018 को सीए में। 2017 सं.17869-17870 (सं. 991 और 994/2018 एम. ए. 15-16/2018 को सीए में. सं. 17869-17870/2017 (सं. 1019/2018)]

आवेदकों ने 2004 में दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से कंप्यूटर विज्ञान में बी. टेक पाठ्यक्रम पूरा किया था। उनके अनुसार, आईटीएम इंटरनेशनल में निर्देश दिए गए थे और उन्हें इलाहाबाद कृषि संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की गई थी। बाद में उन्होंने इस तरह के बी. टेक डिग्री के आधार पर एम. टेक और अन्य योग्यताओं में डिग्री हासिल की और उसके बाद करियर में उन्नत हुए।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. गिरि की प्रस्तुतियाँ अपनाते हुए तर्क रखा कि आईटीएम इंटरनेशनल एक प्रतिष्ठित संस्थान है और उनकी डिग्री के लिए किसी भी दुर्बलता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, किसी भी मामले में उसके वादकारियों को आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जहां उम्मीदवारों के ज्ञान का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया गया और उन्हें अन्य पदों पर नियुक्त किया गया।

C. सीए की डायरी सं. 356/2018; सं. 17869-17870/2017 (सं. 1080/2018) एम. ए. के सी. ए. में 17-18/2018; सं. 17869-17870/2017 (एलए. एनओएस 1049 और 1054/2018)

उम्मीदवारों ने एक नियमित और अनुमोदित संस्थान से इंजीनियरिंग में पहली डिग्री हासिल की थी और इस तरह उनकी पहली डिग्री किसी भी गिनती में अमान्य या अनियमित नहीं है। हालांकि, इन उम्मीदवारों ने बाद में दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से डीम्ड विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की थी।

श्री कपिल सिब्बल, सीखा वरिष्ठ अधिवक्ता ने एआईसीटीई द्वारा जारी विज्ञापन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन सभी उम्मीदवारों को शामिल किया गया था, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से विचाराधीन विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की थी, उन्हें भी परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक था। उनकी अधीनता में यह न्यायालय मुख्य रूप से इंजीनियरिंग में पहली डिग्री से संबंधित था जो दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से प्राप्त किया गया था न कि मास्टर डिग्री के माध्यम से। उन्होंने आगे था उन उम्मीदवारों को जिन्होंने इंजीनियरिंग में ऐसे परास्नातक की डिग्री हासिल की थी, वे निर्णय द्वारा कवर नहीं किए गए थे।

D. [एम. ए. सी. ए. में सं. 1866-67/2017 2017 के सं. 17869-17870 (एनओएस. 141892/2017 एम. ए. 1868-1869/2017 को सीए सं. 17869-17870/2017 (सीए सं. 17869-17870/2017 में 2017 के एम. ए. एन. एस. 1872-73/17 के एन. ओ. एस. 141912 (2017) सं. 141948/2017 पर आईए _ 516/2018 पर _ आईए 516 /2018]

आवेदकों को संबंधित डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रदान किया गया।

श्री ध्रुव मेहता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्णय के पैराग्राफ 34 और 46 पर हमारा ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों से संबंधित था और डिप्लोमा के लिए नहीं और निर्णय की कठोरता के रूप में शुद्ध और केवल डिप्लोमा धारकों पर लागू नहीं होना चाहिए। उनके प्रस्तुत करने में, एआईसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस मामले के दायरे से बाहर था।

E. [2017 की सीए नंबर 17869-17870/2017 की डायरी नंबर 39667 (2017 का एलए. नंबर. 38802_) एम. ए. 2017 के सीए नंबर 17869-17870 में 2017 का नंबर 1807-1808 (1.A। 2017 की डायरी नं. 2444 की 2017 की डायरी नं. 38799 सी. ए. 2017 के नं। 17869-

17870 _ (1.A। 2018 का नंबर 487 एम. ए. 2018 के 5-6 सी. ए. 2017 का नंबर 17869-17870 (1.A। 2018 का नंबर 511]

वर्तमान मामले में, आवेदकों ने दूरी शिक्षा मोड के माध्यम से विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन (वीएमआरएफ) द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों में खुद को नामांकित किया था।

श्री अनुपम लाल दास, एडवोकेट ने सीखा कि जैसा कि निर्णय में निकाले गए यूजीसी के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश के हलफनामे से स्पष्ट है, वीएमआरएफ को अन्य के विपरीत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सहित विषयों में उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। डीम्ड विश्वविद्यालय, अर्थात्, जेआरएन, आईएएसई और एएआई। उन्होंने निर्णय के पैराग्राफ 21,34 और 39 पर हमारा ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि वीएमआरएफ का मामला एक अलग पायदान पर था और वीएमआरएफ द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रम किसी भी तरह से गलत पक्ष में नहीं पाया गया।

F. [एम. ए. सी. ए. में सं. 1874-1875/2017; सं. 17869/2017; नं सं. 141960/2017 एम. ए. सी. ए. में सं. 1876-1877/2017; सं. 17869/2017; सं. 141971/2017]

दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा इंजीनियरिंग में डिग्री से सम्मानित किए जाने के बाद इन आवेदकों ने अपने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरे किए थे।

श्री वी. गिरि और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा की प्रस्तुतियाँ अपनाते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री आर. एस. सूरी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों द्वारा अर्जित उच्च योग्यता के लिए कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए।

G. [एम. ए. सीए में सं. 11-12/2018 के सं. 17869-17870/2017 (एलए सं. 972/2017, 644/2018, 645/2018 और 973/2018]

आवेदकों ने दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से खनन इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और एनएमडीसी, एक सांविधिक निगम में अपने करियर में उन्नत किया है।

श्री विक्रमजीत बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उनकी क्षमता का परीक्षण उक्त संगठन द्वारा किया गया था और उनके ग्राहकों को परीक्षा में उपस्थित होने से छूट दी गई थी।

H. [रिट याचिका सिविल सं. 1233/2017]

इन आवेदकों को विचाराधीन विश्वविद्यालयों द्वारा डीम्ड द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान की गई थी। यह कहा जाता है कि अधिकांश आवेदक निजी, कॉर्पोरेट और सरकारी सेवाओं में शामिल हो गए हैं और उनमें से कुछ कॉर्पोरेट नौकरियों में और यहां तक कि विदेशों में भी हैं। उनमें से कुछ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एम. टेक और आगे की डिग्री प्राप्त की है और जीवन में उन्नत हैं।

श्री रणजीत कुमार, श्री पी. एन. मिश्रा और श्री हुज़ेफा अहमदी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना, जो श्री वी. गिरि, सुश्री अरोड़ा और श्री सिब्बल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के समान लाइनों पर आवेदकों को उन्नत प्रस्तुतियाँ देते थे।

M. [एम. ए. नं. 2018 का 38 सी. ए. नंबर 17907/2017]

आवेदक, आईएएसई, डीम्ड विश्वविद्यालय स्पष्टीकरण चाहता है कि निर्णय केवल दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए इंजीनियरिंग में डिग्री के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों पर लागू होता है और यह कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्णय द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।

श्री एम. एल. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने एआईसीटीई द्वारा जारी विज्ञापन पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। विचाराधीन मुद्दे पर उनकी प्रस्तुतियाँ श्री ध्रुव मेहता द्वारा उन्नत प्रस्तुतियाँ के समान हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीखी हैं।

2. हमने श्री मनिंदर सिंह, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, को भी सुना जो एआईसीटीई की ओर से पेश हुए।

3. यह सच है, जैसा कि निर्णय के पैराग्राफ 34 और 46 से स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में विवाद इंजीनियरिंग में डिग्री की वैधता से संबंधित है जो डीम्ड द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से विश्वविद्यालयों को प्रदान किया गया था और इस न्यायालय को वैधता पर विचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था ऐसे डीम्ड द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा विश्वविद्यालय। हालाँकि एआईसीटीई द्वारा जारी विज्ञापन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसलिए हम श्री ध्रुव मेहता और श्री एमएल वर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ स्वीकार करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क और स्पष्ट करते हैं कि डिप्लोमा के लिए अग्रणी ऐसे पाठ्यक्रमों की वैधता निर्णय का विषय नहीं था।

4. एक ही समय में, डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी पाठ्यक्रम, चाहे स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री, निश्चित रूप से मुद्दे में मामला था। इसलिए हम श्री कपिल सिब्बल वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्क को अस्वीकार करते हैं, और एआईसीटीई द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की समझ में कोई दुर्बलता नहीं पाते हैं।

5. श्री अनुपम लाल दास, विद्वान अधिवक्ता सही है कि जेआरएन, एएआई और जेएएसई के पास इंजीनियरिंग के क्षेत्र या विषयों में कोई विशेषज्ञता नहीं थी और उन पर सम्मानित डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थिति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के कारण नहीं थी। इन तीनों डीम्ड विश्वविद्यालयों के विपरीत, वीएमआरएफ का मामला बेहतर स्थिति में था क्योंकि इसकी गतिविधि और उत्कृष्टता के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के विषय भी शामिल थे। हालाँकि यह निर्णय का एकमात्र आधार नहीं था। तथ्य अभी भी वें हैं, दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री के सम्मेलन में एआईसीटीई द्वारा सिद्धांत रूप में कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था और अध्ययन केंद्रों का कभी निरीक्षण या अनुमोदन नहीं किया गया था। इसलिए हम श्री अनुपम लाल दास विद्वान अधिवक्ता के तर्क से इनकार करते हैं।

6. यदि डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री का पुरस्कार, एक अवधारणा या सिद्धांत के रूप में एआईसीटीई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो यह सारहीन है कि क्या अध्ययन केंद्र आईटीएम इंटरनेशनल था। कहा संस्थान अपने आप में इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं था और न ही संबंधित समय में किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उक्त संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों ने एएआई की डिग्री प्रदान की, जिसमें कोई विशेषज्ञता या अनुभव नहीं था इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से। इसलिए हम सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सबमिशन को अस्वीकार कर देते हैं।

7. अब हम सभी विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत उनके सामान्य तर्कों की ओर मुड़ते हैं कि उम्मीदवार दूरस्थ शिक्षा मोड के माध्यम से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद, कैरियर में उन्नत हो गए हैं और उनकी क्षमता का परीक्षण विभिन्न स्तरों पर किया गया है और इस तरह परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता के रूप में उनके मामले में निर्णय के साथ देखा किया जाना चाहिए। हम ऐसा कोई अपवाद नहीं बना सकते कि उनकी डिग्री में दुर्बलता बुनियादी और मौलिक है और इसे दूर नहीं किया जा सकता है।

उसी समय, हम उनके प्रस्तुत तर्कों में कुछ बल पाते हैं कि यदि उनकी डिग्री और सभी लाभों का निलंबन निर्णय में संकेत के रूप में लागू होता है, तो संबंधित उम्मीदवार अपनी नौकरी खो सकते हैं और भले ही वे सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हों, उनकी बहाली नौकरियां और वर्तमान स्थिति कुछ कठिनाई पैदा करेगी।

इसलिए, हम उन उम्मीदवारों के पक्ष में एक बार की छूट के रूप में, जिन्हें शैक्षणिक वर्ष 2001-2005 के दौरान नामांकित किया गया था और जो निर्णय के संदर्भ में, एआईसीटीई द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र हैं, निर्देश देते हैं:-

क] ऐसे सभी उम्मीदवार, जो मई-जून 2018 में एआईसीटीई द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं और जो निर्णय के संदर्भ में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए विकल्प का उपयोग करते हैं, वे प्रश्न में डिग्री और सभी लाभों को बनाए रख सकते हैं। इस तरह के परीक्षण के परिणाम की घोषणा के एक महीने बाद तक या 31.07.2018 तक जो भी पहले हो।

ख] यह सुविधा एक बार के अपवाद के रूप में दी गई है ताकि जिनके पास क्षमता हो और वे पहले प्रयास में ही परीक्षा पास कर सकें, उन्हें असुविधा में न डाला जाए। यदि उम्मीदवार इस तरह के पहले प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं, तो वे सभी लाभों को बनाए रखने के हकदार होंगे। लेकिन अगर वे विफल हो जाते हैं या परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, तो निर्णय में निर्देश लागू होंगे, जिसमें डिग्री और सभी लाभ निलंबित और वापस ले लिए जाएंगे। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की कोई और संभावना नहीं है या अपवाद दिए जाएंगे या किए जाएंगे। वे निस्संदेह निर्णय के संदर्भ में दूसरे अवसर पर उपस्थित होने के हकदार होंगे लेकिन यह अपवाद ऐसे दूसरे प्रयास के लिए लागू नहीं होगा।

ग] हम एआईसीटीई को मई-जून 2018 में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देते हैं और निर्णय और इस आदेश में हमारे निर्देशों के संदर्भ में समय पर परिणाम की घोषणा करते हैं। एआईसीटीई हालांकि परीक्षण में उपस्थित होने के विकल्प का उपयोग करने के लिए समय का विस्तार करेगा।

8. पूर्ववर्ती पैराग्राफ यानी में दिए गए निर्देशों को छोड़कर। अनुच्छेद 7 और स्पष्टीकरण के रूप में डिप्लोमा के पुरस्कार के लिए अग्रणी पाठ्यक्रमों के संबंध में, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, हम अन्य सभी प्रस्तुतियाँ अस्वीकार करते हैं।

9. समस्त्र आवेदन, याचिकाएं और रिट याचिकाएं पूर्वोक्त शर्तों के अधीन निपटा दी गई हैं। कोई खर्च नहीं।

प्रकरण निस्तारित।

कल्पना के. त्रिपाठी

Jai Shankar Mishra